

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला
72/2019/प्रार्थना पत्र 23.07.2019 05.09.2019

उनवान

- 1— कालूराम पिता हरदेव नाथ नि० चान्दमा तहसील फूलियाकलां
- 2— कालीदेवी पत्नि रामेश्वर नाथ नि० चान्दमा तहसील फूलियाकलां
- 3— सोहनी पत्नि हरदेवनाथ नाथ नि० चान्दमा तहसील फूलियाकलां
- 4— दुर्गानाथ पिता नारायणनाथ नाथ नि० चान्दमा तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

- 1— सांवरिया पिता मोहन मीणा नि० चान्दमा तह० फूलियाकलां
- 2— गोपाल पिता हाथी गुर्जर नि० चान्दमा तह० फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम चान्दमा पटवार हल्का रामपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 433 आ०न० 803 रकबा 0.08 है०, आ०न० 804 रकबा 0.45 है०, आ०न० 805 रकबा 0.04 है०, कुल किता 03 रकबा 0.57 है० व खाता संख्या 100 आ०न० 806 रकबा 0.27 है०, आ०न० 807 रकबा 0.33 है, आ०न० 808 रकबा 0.27 है०, आ०न० 862 रकबा 0.40 है०, आ०न० 863 रकबा 0.21 है० कुल किता 05 रकबा 1.48 है०, व खाता संख्या 16 आ०न० 609 रकबा 0.13 है०, आ०न० 860 रकबा 0.22 है०, आ०न० 861 रकबा 0.22 है० कुल किता 03 रकबा 0.57 है० तथा खाता संख्या 23 आ०न० 809 रकबा 0.38 है० कुल किता 01 रकबा



0.38 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 2 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम चान्दमा पटवार हल्का रामपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 433 आ0न0 803 रकबा 0.08 है0, आ0न0 804 रकबा 0.45 है0, आ0न0 805 रकबा 0.04 है0, कुल किता 03 रकबा 0.57 है0 व खाता संख्या 100 आ0न0 806 रकबा 0.27 है0, आ0न0 807 रकबा 0.33 है, आ0न0 808 रकबा 0.27 है0, आ0न0 862 रकबा 0.40 है0, आ0न0 863 रकबा 0.21 है0 कुल किता 05 रकबा 1.48 है0, व खाता संख्या 16 आ0न0 609 रकबा 0.13 है0, आ0न0 860 रकबा 0.22 है0, आ0न0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 03 रकबा 0.57 है0 तथा खाता संख्या 23 आ0न0 809 रकबा 0.38 है0 कुल किता 01 रकबा 0.38 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काशतकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 2 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चान्दमा पटवार हल्का रामपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 433 आ0न0 803 रकबा



0.08 है0, आ0न0 804 रकबा 0.45 है0, आ0न0 805 रकबा 0.04 है0, कुल किता 03 रकबा 0.57 है0 व खाता संख्या 100 आ0न0 806 रकबा 0.27 है0, आ0न0 807 रकबा 0.33 है, आ0न0 808 रकबा 0.27 है0, आ0न0 862 रकबा 0.40 है0, आ0न0 863 रकबा 0.21 है0 कुल किता 05 रकबा 1.48 है0, व खाता संख्या 16 आ0न0 609 रकबा 0.13 है0, आ0न0 860 रकबा 0.22 है0, आ0न0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 03 रकबा 0.57 है0 तथा खाता संख्या 23 आ0न0 809 रकबा 0.38 है0 कुल किता 01 रकबा 0.38 है0 की प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1200/- (अक्षरे एक हजार/दो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)

आरोएओएसओ

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

फूलियाकलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलियाकलां जिला-भीलवाड़ा